न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 103 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कालुराम पुत्र सुजाराम 2. सेसाराम पुत्र सुजाराम मृतक उन्दरराम पुत्र सुजाराम के 3. का0मु0 उत्तराधिकारी— 3/1 जवरीलाल पुत्र उन्दरराम 3/2 सुरेश पुत्र उन्दरराम		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

दिनांक – 21/07/25

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 164 कुल रकबा 0.8600 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि में वादी सं0 1 कालुराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 सेसाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3/1 जवरीलाल का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3/2 सुरेश का 1/8 हिस्सा खातेदारी हक हकूक बनता है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पूर्व में चेनाराम, रमेश पिसरान रतनलाल कौम जांगिड के नाम की खातेदारी दर्जसुदा रही, तत्पश्चात् कालुराम, सेसाराम, उन्दरराम, भंवरलाल पिसरान सुजाराम ने वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि को चेनाराम वगैरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामान्तरण संख्या 47 भर कर स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात् चेनाराम वगैरा का नाम खारिज कर कालुराम, सेसाराम, उन्दरराम, भंवरलाल का नाम दर्ज किया गया। नामान्तरण स्वीकृत करते समय कालुराम, सेसाराम, उन्दरराम, भंवरलाल पिसरान सुजाराम के स्थान पर कालुराम, सेसाराम, उन्दरराम, भंवरलाल पिसरान सुरजमल अंकित कर दिया गया, क्योंकि सुजाराम को सुरजमल नाम से भी जाना जाता था। इस कारण राजस्व रेकर्ड में पैन ऑफ मिस्टेक से बिना जॉच किये सुजाराम के स्थान पर सुजरमल अंकित कर दिया गया, जबकि सुजाराम व सुरजमल दोनो एक ही व्यक्ति है तथा अन्य कोई भी व्यक्ति उक्त नाम का ग्राम बासनी तिलवाड़ीया व नेहड़ा बेरा में निवास नही करता है। उक्त सुजाराम का परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सभी जगह सुजाराम ही अंकित है व वादी संख्या 1 व 2 के आधार कार्ड में भी उनकी वल्दीयत सुजाराम ही अंकित है। सुजाराम के उतराधिकारी उन्दरराम की मृत्यु के पश्चात् उनके उतराधिकारी गीता पुत्री उन्दरराम, पिंकी पुत्री उन्दरराम ने जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 18/11/2021 को अपना हक वादी संख्या 3/1 जवरीलाल व वादी संख्या 3/2 सुरेश को दे दिया, इस प्रकार वादी संख्या 3/1 व 3/2 का उक्त कृषि भूमि में 1/8–1/8 हक हिस्सा रहा। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि के सहखातेदार भंवरलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

सुजाराम द्वारा अपने दोनो पुत्रो गणपतलाल, दिनेश को वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में अपना हक हिस्सा जरिये बक्शीसनामा उनके पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिसका नामान्तारण संख्या 838 दिनांक 15/07/2022 स्वीकृत किया जाकर भंवरलाल के स्थान पर गणपतलाल पुत्र भंवरलाल व दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल अंकित किया गया है। वादी संख्या 1 व 2 के वल्दीयत में व वादी संख्या 3/1 व 3/2 के पिता स्व. उन्दरराम की वल्दीयत में पैन ऑफ मिस्टेक से सुजाराम के स्थान पर सुरजमल अंकित होने की सर्वप्रथम जानकारी वादीगण को होने पर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु उक्त वाद बावत् रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया हैं। इस प्रकार वादीगण की ईश्तदुआ है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 164 के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में कालुराम पुत्र सुरजमल व सेसाराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर कालुराम पुत्र सुजाराम व सेसाराम पुत्र सुजाराम अंकित कर रेवेन्यु रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे व वादी संख्या 3 व 4 के पिता उन्दरराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर रेवेन्यु रेकर्ड में संशोधन करते हुये उन्दरराम पुत्र सुजाराम अंकित करते हुये वादी संख्या 3/1 जवरीलाल पुत्र उन्दरराम व 3/2 सुरेश पुत्र उन्दरराम को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/888 दिनांक 17.06.2025 के जरिये सूरजमल एवं सुजाराम एक ही व्यक्ति हैं। सूजाराम का देहांत हो चुका हैं। अतः सुरजमल के स्थान पर सुजाराम किया जाना अपेक्षित हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादीगण के पूर्वज सुजाराम के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वादीगण की माता/दादी दाखु देवी के मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, बिदिया देवी पत्नि उन्दर जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, उन्दर जी पुत्र सुजाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति,, पर्चा लागन की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2033–52, 2048–51, 2052–55, 2068–71, 2076–79 की प्रमाणित प्रति पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 164 के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में कालुराम पुत्र सुरजमल व सेसाराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर कालुराम पुत्र सुजाराम व सेसाराम पुत्र सुजाराम अंकित कर रेवेन्यु रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे व वादी संख्या 3 व 4 के पिता उन्दरराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर रेवेन्यु रेकर्ड में संशोधन करते हुये उन्दरराम पुत्र सुजाराम अंकित करते हुये वादी संख्या 3/1 जवरीलाल पुत्र उन्दरराम व 3/2 सुरेश पुत्र उन्दरराम को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी.
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादीगण के पूर्वज सुजाराम के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वादीगण की माता/दादी दाखु देवी के मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, विदिया देवी पत्नि उन्दर जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, उन्दर जी पुत्र सुजाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, पर्चा लागन की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2033–52, 2048–51, 2052–55, 2068–71, 2076–79 की प्रमाणित प्रति पेश किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में सूरजमल एवं सुजाराम दोनों एक ही व्यक्ति होना अंकित किया तथा सूरजमल के स्थान पर सुजाराम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त जिससे वादीगण के पिता/दादा का नाम सुरजमल नहीं होकर सुजाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कालुराम पुत्र सुरजमल व सेसाराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर कालुराम पुत्र सुजाराम व सेसाराम पुत्र सुजाराम अंकित कर रेवेन्यु रेकर्ड में दुरूस्त किया जाने व वादी संख्या 3 व 4 के पिता उन्दरराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर रेवेन्यु रेकर्ड में संशोधन करते हुये उन्दरराम पुत्र सुजाराम दुरूस्त किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को फौत वादीगण के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा० पारित किया जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 164 रकबा 0.8600 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज़ कालुराम पुत्र सुरजमल व सेसाराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर कालुराम पुत्र सुजाराम व सेसाराम पुत्र सुजाराम अंकित कर रेवेन्यु रेकर्ड में दुरूस्त किया जाने व वादी संख्या 3 व 4 के पिता उन्दरराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर रेवेन्यु रेकर्ड में संशोधन करते हुये उन्दरराम पुत्र सुजाराम दुरूस्त किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को फौत वादीगण के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)